18

15

205

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / लेखा / आर सी आर / 2014 / डी– 353 दिनांक 7/10/14

कार्यालय आदेश

वर्तमान में विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा जारी रिफण्ड आदेशों के आर सी आर प्रकोष्ठ द्वारा चैक जारी किये जाते है। ब्याज राशि के भुगतान के चैक व. लेखाधिकारी (भुगतान) द्वारा जारी किये जाते है। जारी चैको को आवेदनकर्ताओं / जमाकर्ताओं के पते पर भेजा जाता है। जिससे उनकों चैक राशि विलम्ब से प्राप्त होती है। कई बार तो जमाकर्ता को चैक प्राप्त होने पर चैक अवधि पार हो जाता है जिससे उन्हे अनावश्यक परेशानी होती है एवं प्राधिकरण की छवि पर भी विपरित प्रभाव पडता है। अतः चैक जारी करने के स्थान पर जमाकर्ताओं को उनकी अधिक राशि उनके खातों में सीधे ही RTGS/NEFT/TRANSFER के माध्यम से लौटाई जावेंगी। इसके लिए प्रत्येक रिफण्ड आदेश में जमाकर्ता के बैंक खाते का नम्बर, आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम, शाखा का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है। अतः आवेदन पत्र प्राप्ति के समय ही उपरोक्त विवरण अंकित करा लिया जावें। इसी भाँति कम्यूनिटि सेंटर की बुकिंग आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता से बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त कर रिफण्ड आदेश में उसका अंकन किया जावें। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में चैक जारी करना आवश्यक हो तो निदेशक (वित्त) से चैक जारी कराने हेतु संबधित जोन / प्रकोष्ठ द्वारा परिस्थिति का अंकन करते हुए पूर्व अनुमति प्राप्त की जावें। बैंक खाते के विवरण के अभाव में राशि रिफण्ड नही की जावेंगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिफण्ड आदेश जारी करने वाले अधिकारी की होगी।

निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा।
3. निदेश्यक (वित्त) / अभि. I, II / टी. पी. / लॉ, जविप्रा।
4. अति आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / एलपीसी / पुनर्वास / भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा।
5. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय / सिस्टम मेनेजमेन्ट), जविप्रा।
6. अति मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी / एम.पी–प्रथम / द्वितीय) जविप्रा।
7. अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा।
8. समस्त उपायुक्त जोन.............. / प्रशासन / स्टोर / वाहन, जविप्रा।
9. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास) जविप्रा।
10. संयुक्त पंजीयक (सहकारिता), जविप्रा।
11. उपनिदेशक (व्यय एवं बजट), जविप्रा।
12. व. लेखाधिकारी (भुगतान) / आक्शन, जविप्रा।
13. अधिशाषी अभियन्ता (गार्डन), जविप्रा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा।
15. प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा।

निदेशक (वित्त)